दिनांक– 25.11.2020 को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिए गए निदेशः–

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 25.11.2020 को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में DILRMP अंतर्गत आने वाले विषयों एवं विशेष सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा की गई एवं निम्नांकित निदेश दिए गएः–

1. **Computerisation of Land Record (CLR)** :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि निदेशानुसार MIS में की गई जिलावार CLR इन्ट्री में विभिन्न अभिलेखों के आधार पर इन्ट्री की गई है।

निदेश दिया गया कि पूर्व में इन्ट्री किए गए CLR की जिलावार समीक्षा कर ली जाए एवं CLR के लिए विगत् सर्वेक्षण यथा कैडेस्ट्रल/रिविजनल एवं चकबन्दी सर्वे अन्तर्गत बनाए गए अधिकार–अभिलेख को आधार मानते हुए CLR इन्ट्री की समीक्षा की जाए। साथ ही चकबन्दी अन्तर्गत तैयार किए गए अधिकार–अभिलेखों की समीक्षा कर उनके डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया आरंभ की जाए तथा इस सम्बन्ध में बी0पी0एम0यू0 कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना एवं संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना।)

2. **मानचित्रों का डिजिटाईजेशन** :– प्रतिवेदित किया गया कि बिहार में विगत् सर्वेक्षण के सभी उपलब्ध मानचित्रों के डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। किन्तु शाहाबाद क्षेत्र के चार जिलों– भोजपुर, बक्सर, सासाराम तथा भभुआ एवं मुजफ्फरपुर के ग्रामों में तकनीकी कारणों से फिर से डिजिटाईजेशन कराया जा रहा है। साथ ही वैसे ग्राम जिनका मानचित्र गुलजारबाग में उपलब्ध नहीं है; के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ–साथ वर्त्तमान में शाहाबाद तथा मुशहरी के ग्रामों के मानचित्र डिजिटाईजेशन कार्य की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए। मानचित्र डिजिटाईजेशन मद में भारत सरकार द्वारा आवंटित कुल राशि, व्यय की गई राशि, शेष राशि एवं मांग की जानेवाली राशि के सम्बन्ध में भी स्पष्ट प्रतिवेदन बी0पी0एम0यू0 कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना।)

3. **Integration of Textual and Spatial Data** :– प्रतिवेदित किया गया कि एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किए गए भू–नक्शा सॉफ्टवेयर के द्वारा Spatial Data को Integrate करने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में कर दिया गया है एवं विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत दोनों तरह के डाटा प्राप्त होने के पश्चात् इस पूरी प्रक्रिया को दाखिल–खारिज की प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध कर Textual and Spatial Data का अद्यतीकरण किया जाएगा।

निदेश दिया गया कि इस प्रक्रिया अन्तर्गत शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा अंचल के किसी एक ग्राम के विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी डाटा को आधार बनाकर संपूर्ण प्रक्रिया का Demo करके दिखाया जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दाखिल–खारिज अन्तर्गत Textual Data में हो रहे परिवर्त्तनों के अनुरूप मानचित्र में Spatial Data में परिवर्त्तन हो रहा है अथवा नहीं।

(अनुपालनः– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना।)

4. **Information, Education and Communication** :– निदेश दिया गया कि राज्य के आम नागरिकों तक राजस्व एवं सर्वे से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारियों को पहुँचाने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से दी जाने वाली सामग्री को प्रत्येक दिन के हिसाब से तैयार कर एक विस्तृत मिडिया प्लान तैयार कर लिया जाए, जिसमें प्रत्येक दिन दिए जाने वाले विषय की सामग्री कम–से–कम 800 शब्दों की हो। साथ ही आम नागरिकों को उनके घर पर डाक द्वारा मानचित्र उपलब्ध कराने की योजना को शीघ्र डाक विभाग एवं बैंक के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जाए। जिलों में विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी किए जाने वाले प्रचार कार्यों का सतत् अनुश्रवण किया जाए।

(अनुपालनः– श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

5. **Modern Record Room** :– प्रतिवेदित किया गया कि राज्य के 436 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण किया जा चुका है एवं 38 जिलों के 163 अंचलों को उपस्कर आदि के लिए कुल 26,24,30,000/– (छबीस करोड़ चौबीस लाख तीस हजार रूपये) रू0 प्रति अभिलेखागार की दर से राशि का आवंटन किया जा चुका है, किन्तु अब तक किसी भी जिले द्वारा राशि का व्यय नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि आधुनिक अभिलेखागार भवन के संचालन के लिए आवश्यक नियमावली निदेश एवं Operating Mannual तैयार करने के लिए प्रारूप तैयार किया जाए। सभी जिलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन के निर्माण करने के लिए कुल आवश्यक राशि, भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि व्यय की गई राशि, शेष राशि तथा आवंटन की मांग की जाने वाली राशि का स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर बी0पी0एम0यू0 कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थापित किया जाए। जिन अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार के लिए अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहाँ के लिए किराये के भवन में आधुनिक अभिलेखागार के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया जाए एवं उनके क्रियान्वन के लिए आवश्यक राशि उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

(अनुपालनः–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

6. **Core GIS** :– प्रतिवेदित किया गया कि Core GIS के लिए विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया में खेसरावार भौतिक विवरणी संकलित करने का कार्य किया जा रहा है एवं इसके लिए सूची तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

निदेश दिया गया कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मानचित्र एवं भारतीय वन विभाग द्वारा तैयार मानचित्र को शेखपुरा जिला के किसी ग्राम के विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत निर्मित मानचित्र के साथ GIS Layer के रूप में Superimpose करके आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालनः–श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0)

7. **Model Law for Conclusive Titling** :– निदेश दिया गया कि अधिकार–अभिलेख निर्माण के लिए आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यशाला आयोजन करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए एवं कार्यशाला में व्यय होने वाली राशि का आकलन कर भारत सरकार से राशि की मांग की जाए। साथ ही विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित जिलों में टाईटल सूट के त्वरित निष्पादन सम्बन्धी निदेश निर्गत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना)

8. **Evaluation** :– निदेश दिया गया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के Evaluation के लिए स्थानीय स्तर की एजेंसियों यथा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, नाबार्ड, बिहार, पटना, ए0एन0 सिन्हा इन्स्टीच्यूट, बिहार, पटना इत्यादि में किसी का चयन कर प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए। साथ ही PMU की Governing Body की बैठक का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालनः–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

9. **PMU के वित्तीय स्थिति की समीक्षाः**– निदेश दिया गया भारत सरकार तथा राज्य सरकार से विभिन्न मदों में प्राप्त सभी प्रकार के आवंटनों की मदवार विवरणी तैयार कर उनके Opening Balance को दर्शाते हुए मदवार प्राप्त आवंटन, व्यय, शेष आवश्यकता के आलोक में शेष मांगी जाने वाली राशि इत्यादि का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। पूर्व में बेल्ट्रॉन, पटना को दी गई राशि को अलग–अलग किस–किस मद में व्यय किया गया है, इसका विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिया जाए एवं आगामी बी0पी0एम0यू0 कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थापित करें।

(अनुपालनः– श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0)

10. <u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों की समीक्षा</u>:– निदेश दिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा से स्पष्ट है कि जिन हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्य के कारण काम में बाधा आ रही है, उनके विकल्प पर विचार कर वैकल्पिक योजना की तैयारी की जाए।

(अनुपालनः–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

11. **<u>MARBLE</u>** :– निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए MARBLE को विषयवार अलग–अलग करके एक पुस्तिका के रूप में छपाई हेतु तैयार कर आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालनः–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

12. <u>प्रपत्र–6 में प्रविष्टियों एवं पिलर का दर निर्धारण</u>:– निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियाँ पूर्ण कर आगामी बैठक में प्रतिवेदित किया जाए।

(अनुपालनः– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

13. **<u>MIS इन्ट्री</u>**:– निदेश दिया गया कि MIS इन्ट्री के तहत प्राप्त प्रतिवेदनों में जिन बिन्दुओं में लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है, उनको MIS से हटाकर वैसे नए बिन्दुओं को जोड़ा जाए जो कार्य की समीक्षा के क्रम में परिलक्षित होते है।

(अनुपालनः– प्रभारी आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019 11357 **पटना, दिनांक** :– 1.12.2020

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019 11357 **पटना, दिनांक** :– 1.12.2020

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना / श्री राजेश कुमार सिंह, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019 11357 **पटना, दिनांक** :– 1.12.2020

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप / जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0 / श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019....11357.................... **पटना, दिनांक** :–1.12.2020

प्रतिलिपिः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0, आई0एल0एण्डएफ0एस0, जी0आई0एस0 कंसोर्टियम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019..........11357.................... **पटना, दिनांक** :–1.12.2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप